भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
18.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3812 का उत्तर

रेल रियायतें और कोटा

3812. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **रेल द्वारा वर्तमान में प्रदान की जा रही सभी रियायतों और कोटा का उनके लाभार्थियों और लागू शर्तों सहित ब्यौरा क्या है;**

(ख) **क्या सरकार विशेष रूप से बढ़ती मांग को पूरा करने और महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेलगाड़ियों में महिला कोटा के तहत आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

(ग) **रेल द्वारा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित कमजोर समूहों के लिए पहुंच और सामर्थ्य की चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?**

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क): भारतीय रेल समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएँ प्रदान करने को प्रयासरत रहती है और 2022-23 में यात्री टिकटों पर 56,993 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की है। यह रेल में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 46% की रियायत है। दूसरे शब्दों में आसानी से समझने के लिए, यदि सेवा प्रदान करने की लागत 100 रुपए है, तो टिकट की कीमत केवल 54 रुपए है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए जारी है। इसके अलावा, इस सब्सिडी राशि से

अधिक रियायतें कई श्रेणियों जैसे विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) की 4 श्रेणियों, रोगियों की 11 श्रेणियों और छात्रों की 8 श्रेणियों के जैसी कई श्रेणियों के लिए जारी हैं।

इसके अलावा, भारतीय रेल यात्रियों के विभिन्न वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के आरक्षण कोटा मुहैया कराती है, जिनमें से कुछ हैं सामान्य, तत्काल, रक्षा, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, दिव्यांगजन व्यक्ति, विदेशी पर्यटक आदि। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, विदेशी पर्यटकों, रक्षा कर्मियों और महिला यात्रियों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटा यात्रियों की पात्र श्रेणी द्वारा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुक किया जा सकता है।

(ख) और (ग): इस समय, महिला यात्रियों के लिए निम्नलिखित आरक्षित स्थान निर्धारित किए गए हैं:-

I. अकेले यात्रा करने वाली महिला या महिला यात्रियों के समूह में, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में शयनयान श्रेणी में छह शायिकाओं का आरक्षण कोटा और गरीब रथ/राजधानी/दूरन्तो/पूर्णत: वातानुकूलित एक्सप्रेस रेलगाडियों की तृतीय वातानुकूलित श्रेणी में छह शायिकाओं का आरक्षण कोटा महिला यात्रियों के लिए निर्धारित किया गया है।

II. वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए शयनयान श्रेणी में छह से सात निचली शायिकाएं प्रति सवारी डिब्बा, वातानुकूलित 3 टियर में चार से पांच निचली शायिकाएं प्रति सवारी डिब्बा और वातानुकूलित 2 टियर में तीन से चार निचली शायिकाएं प्रति सवारी डिब्बा का संयुक्त आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 (नवंबर, 2024 तक) के दौरान उपरोक्त आरक्षण कोटा के विश्लेषण से पता चला है कि मौजूदा प्रावधान यातायात के वर्तमान स्तर को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

उपर्युक्त के अलावा, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि जैसे संवेदनशील वर्गों के लिए विभिन्न स्टेशनों पर अलग बुकिंग काउंटर, व्हील चेयर सुविधाएं, बैटरी परिचालित वाहन, रैम्प, लिफ्ट, एस्केलेटर, साइनेज, 'मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं' बूथ आदि का भी प्रावधान है।

****